Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर को कटघोरा वनमंडल अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अंतर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु नारंगी वन भूमि 17.240 हे., वनभूमि 37.309 हे. एवं राजस्व वन भूमि 29.093 हे. कुल 83.6421 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 17 -12-2019

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

Designation - Principal Secretary

C.G. Govt.

Forest Department

(Manoj Kumar Pingua)
Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन
वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–23/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 17 /12/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for diversion of 83.6241 ha. forest for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with paved shoulders configuration of Bilaspur-Katghora Section of NH-111 in the State of Chhattisgarh Pkg.II (Km. 53+300 to Km 62+500) – Pathrapali to Katghora, area – 83.6421 ha. – regarding.**

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–887/3060, दिनांक 07.12.2019 ।

---00---

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रा द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (**Brief**) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 83.6421 हेक्ट. वनभूमि की मांग की गई है।	1–2
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)– उक्त प्रकरण का रजिस्ट्रेशन क्रमांक–**FP/CG/Road/38519/2019** आबंटित किया गया है। आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन शुल्क 6000/– एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46000/–राशि का डी.डी. क्र. 179347 एवं 179348 दिनांक 12.02.19 को जमा किया गया है।	3–4
3	वन क्षेत्र का विवरण – नारंगी वन भूमि 17.240 हे., वनभूमि 37.309 हे. राजस्व वनभूमि 29.093 हे. कुल 83.642 हे. है।	5–9
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – भा.रा.रा. संख्या 111 (नया 130) के बिलासपुर–कटघोरा सेक्शन के अन्तर्गत पथरापाली से कटघोरा (कि.मी. 53.300 से कि.मी. 92.500, पैकेज–2) के सड़क फोरलेन चौड़ीकरण हेतु 148.363 हेक्ट. गैर वनभूमि अधिकृत की गई है।	10–11
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	12–15

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	16–18
7	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव – प्रपत्र IV में प्रस्ताव संलग्न है।	19–23
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – प्रोजेक्ट पर यूजर एजेंसी द्वारा दी गई विस्तृत टीप संलग्न है।	24–30
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – संलग्न है।	31–32
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	33–34
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी ने भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 की छाया प्रति संलग्न की है।	35–38
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में)– प्रस्तावित क्षेत्र में 11299 वृक्ष खड़े है। विवरण संलग्न है।	39–60
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – कास्ट बेनिफिट एनालिसिस संलग्न है। कास्ट बेनिफिट रेसियो 2.85 है।	61–66
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) –राजस्व वन क्षेत्र – अधिकृत की गई भूमि का 3A अधिसूचना भारतीय राजपत्र संलग्न है।	67–90
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – नक्शा संलग्न हैं।	91–113
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना अंतर्गत सिचिंत वृक्षारोपण का प्रस्ताव ग्राम–गुलीडांड तहसील–मरवाही जिला–बिलासपुर के संरक्षित वन भूमि कम्पार्टमेंट नं. 2021 एवं 2023 कुल रकबा 176.738 हे. भूमि पर प्रस्तावित किया गया है।	114–186
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – संलग्न है ।	187–189
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	190
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – लागू नहीं ।	191
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – लागू नहीं।	191
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र– केन्द्रीय सरकार की परियोजना है अतः गैर वन भूमि की अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	192
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – आवश्यकता नहीं है।	193

क्रमशः 3

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	193
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	193
25	व्यवस्थापन प्लान – यूजर एजेंसी का कथन है कि प्रस्तावित कार्य से कोई व्यक्ति/परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	193
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं प्रपत्र 3 में प्रस्ताव पर भौतिक निरीक्षण के आधार पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा किया जाकर आवश्यक प्रपत्र भाग–2 एवं 3 भरा गया है।	194–207
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल द्वारा जारी किया गया है।	208
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – रेखाकिंक परियोजना में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में यूजर एजेंसी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 28.10.2014 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रथम चरण की स्वीकृति में आवश्यकता नहीं है।	209–210
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – प्रस्ताव कटघोरा वनमंडल की कुल वन भूमि 4187.375 हे. है।	211–212
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि 4863.491 हे. है।	213
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – स्वीकृत प्रकरणों मे प्रत्यावर्तित वन भूमि 382.344 हे. है।	214
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर स्थित नहीं है।	215
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन– सड़क चौड़ीकरण से संबंधित है अतः 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों के चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।	216
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र दिनांक 28.02.2019 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रथम चरण की स्वीकृति में आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय आदेश के अनुसार वन अधिकार मान्यता का कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र स्टेज II के समय किया जा सकता है। मंत्रालय का आदेश तथा वचन पत्र संलग्न है।	217–219

क्रमशः 4

बिंदु क्र	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र – राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर कोरबा का 29.0931 हे. का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 23.10.2019 संलग्न है।	220–224
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	225–226
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	227–228
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it** – आवश्यकता नहीं है इस बाबत् यूजर एजेन्सी का वचन पत्र संलग्न है।	229
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वनमंडलाधिकारी कटघोरा द्वारा दिया गया है ।	230
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980**– आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	231
41	पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण– आवेदक से पंजीयन शुल्क 6000/–एवं प्रोसेसिंग शुल्क 46000/–राशि का डी. डी.क्र. 179347 एवं 179348 दि. 12.02.19 को जमा किया गया जिसकी छाया प्रति भी पुष्टि हेतु लगा दी गई है। शेष विवरण बिन्दु क्रमांक 2 पर संलग्न है।	232–233
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – वनमंडलाधिकारी कटघोरा द्वारा अभिमत दिया गया है कि इसकी आवश्यकता नहीं है।	234
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।	235
44	प्रस्ताव मे अन्य (**Misc**) कमियों का विवरण विवरण – प्रकरण में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के अभिलेख की कमी नहीं है पत्र संलग्न है।	236–317

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के website www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

17-12-19

(गणवीर धम्मशील)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–23/2019/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 17/12/2019

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,

2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।

3.वनमंडलाधिकारी, कटघोरा वनमंडल छत्तीसगढ़ ।

4.आवेदनकर्ता परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

17-12-19

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग